

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री शान्ताराम नायक (गोवा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री पंकज बोरा (असम): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The names of those Members who wish to associate may be added. Now, Shri Mansukh L. Mandaviya.

Reported arrests of Gujarat Fishermen by Pakistani Marine Forces

श्री मनसुख एल. मांडविया (गुजरात): महोदय, भारत की 6,000 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, जिसमें गुजरात की समुद्री सीमा 1,600 किलोमीटर है। गुजरात एक ऐसा राज्य है, जो समुद्री सीमा और जमीन की सीमा से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। गुजरात की समुद्री सीमा पर कुल 16 बंदरगाहों से मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। वहां स्थिति ऐसी है कि जब भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, तब वे कभी-कभी पाकिस्तान की समुद्री सीमा के नजदीक भी जा पहुंचते हैं। वह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मैंग्रोव के वृक्ष भी हैं। पाकिस्तान मैरीन सिक्योरिटी की बोट्स, जिनमें राडार भी लगा रहता है, वृक्ष के पीछे छिपी रहती हैं और जब हमारी बोट्स वहां जाती हैं, तो वे बोट्स के पीछे आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में पिछले 15 दिनों में कुल मिलाकर 21 फिशिंग बोट्स को पकड़ लिया गया है, जिनमें 117 मछुआरों को पकड़ लिया गया है। इसी तरह बार-बार हमारे गुजरात के मछुआरों को पकड़ा जाता है, जैसे तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकन सिक्योरिटी पकड़ती है। ऐसी स्थिति में उनको protection देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वह वहां जीपीएस सिस्टम लगाने की कोशिश करे। हमारे मछुआरे अनपढ़ होते हैं। हिन्दुस्तान की सीमा कब खत्म हो जाती है और पाकिस्तान की सीमा कब स्टार्ट हो जाती है, उनको यह मालूम नहीं रहता है। उनको इसके बारे में अच्छी तरह मालूम रहे, इसके लिए वहां जीपीएस सिस्टम लगाना चाहिए। वहां जीपीएस सिस्टम लगाने का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन वह स्पीड से लगे और सभी मछुआरे बोट्स में जीपीएस सिस्टम लगाकर फिशिंग के लिए जाएं, जिससे उनको पाकिस्तान के कब्जे में न जाना पड़े। इससे जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी forces उनको पकड़ लेती हैं, उनको इससे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सभी बोट्स में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएं।

SHRI V. P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SHARAD PAWAR (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RANVIJAY SINGH JUDEV (Chhattisgarh): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नरेंद्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (गोवा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the names of all those Members who associate themselves may be added. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, there is one point. ...*(Interruptions)*... This is an issue with the Sri Lankan border. ...*(Interruptions)*... This is an issue with the Sri Lankan border as well as here. This is a permanent issue. What is the solution?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, in Sunderban Delta also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. The Minister, please.

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): जी हां, सर, मैं दोनों का उत्तर बताती हूँ।

उपसभापति जी, जो विषय अभी माननीय सांसद महोदय ने उठाया है, पाकिस्तान में जो मछुआरे पकड़े गए, वह उनके लिए उठाया है। जैसा आपने पूछा, मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ। Sri Lankan Navy तमिलनाडु के मछुआरों को पकड़ती है और गुजरात के मछुआरे पाकिस्तान के द्वारा पकड़े जाते हैं। पहले तो मैं कहूंगी कि ये गुजरात या तमिलनाडु के मछुआरे नहीं हैं, ये भारतीय मछुआरे हैं, they are Indian fishermen.

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि दोनों समस्याएं अलग-अलग हैं। जहां तक पाकिस्तान के मछुआरों की बात है, जब पाकिस्तान के मछुआरे इधर आ जाते हैं, तो हम उन्हें पकड़ते हैं और जब हमारे मछुआरे उधर पानी में चले जाते हैं, तो वे उन्हें पकड़ते हैं। यहां समाधान की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम लगा दो, वह जीपीएस सिस्टम लगना शुरू हो गया है। इसके अलावा International Maritime Boundary बन जाएगी, जिससे यह तय हो जाएगा कि इससे आगे वे जा ही न पाएं। इसके लिए कुछ खम्भे टाइप की चीज़ भी बनती है, जिसमें रात को लाइट जलती है और जिससे अपनी बाउंड्री का पता चल जाता है।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

महोदय, ये लोग यही चाहते हैं कि हमें Maritime Boundary बता दो, ताकि हम उसके आगे नहीं जाएं। इस तरह पाकिस्तान वाला जो मामला इन्होंने उठाया है, जल्दी ही उसका समाधान हो जाएगा। हम जीपीएस सिस्टम लगाएंगे और उस पूरी boundary line को ऐसा कर देंगे कि न पाकिस्तान वाले भारत आ सकें और न ही हिन्दुस्तान वाले वहां जा सकें।

जहां तक श्रीलंका का सवाल है, हमारे मछुआरे इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमने एक mechanism बनाया था, जिसमें यह तय किया था कि आपस में बैठकर हम इसका कोई हल निकाल लें। उनके मछुआरे और हमारे मछुआरे आपस में रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि दोनों तरफ तमिल ही हैं, लेकिन वह mechanism अभी तक कोई समाधान दे नहीं पाया है। उसकी पांच-छः बैठकें हो चुकी हैं। अभी जब मैं श्रीलंका गई थी, तो उनके राष्ट्रपति, मैत्रीपाला सिरीसेना जी के साथ भी मैंने यह विषय उठाया था, उनके प्रधान मंत्री, रानिल विक्रमसिंघे जी के साथ भी उठाया था और उनके विदेश मंत्री, मंगला समीरवीरा जी के साथ जब मेरा joint commission हुआ, तब उनके साथ भी मैंने यह विषय उठाया था। वहां यह तय हुआ कि अब चूंकि ये दोनों आपस में मिलकर कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मई महीने में उनके फिशरीज मिनिस्टर यहां आए। जब वे यहां आएंगे, तो मैं स्वयं उनके साथ बैठूंगी। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिनके नीचे फिशरीज भी आता है, उनको भी उनके साथ बैठाऊंगी। हम लोग मिलकर इसका कोई स्थाई समाधान निकाल लेंगे, यह हम करने जा रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): सर, इन्होंने यह नहीं बताया कि मछुआरों को कब छोड़ेंगे?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you hon. Minister. ...(Interruptions)... No question, please. ...(Interruptions)... I thank the Minister for the clear response. Thank you very much. ...(Interruptions)... Shri Anand Sharma ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is Zero Hour; no supplementary. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: I would like to ask one small question. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not allowed. ...(Interruptions)... I am not allowing anybody. ...(Interruptions)... Don't take away Zero Hour's time. ...(Interruptions)... She has explained it very well. What else do you want? ...(Interruptions)... Shri Anand Sharma, please. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: She has not explained it; she has not said anything. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not going on record. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: *

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. *...(Interruptions)...* Without any effort, you got the answer, and then you want to create problem. *...(Interruptions)...* Mr. Anand Sharma, please.

**Allotment of forest and Government land at throw away prices
in Eco-Sensitive Zones**

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Sir, in our country we are very proud that we have rich wildlife. The sheer depth and diversity of our country has also sensitized us about the need to preserve our environment, our eco-system and our coastal zones. Accordingly, over decades, the Parliament of India framed laws. A separate Ministry is dedicated to Environment and Forest which has issued guidelines for the eco-sensitive zones to preserve wildlife, particularly to protect the endangered species like tigers, lions, etc. Sanctuaries have been established in various parts of the country. Now, we have a situation where there is a serious violation of the eco-sensitive zone guidelines which has been monitored under the Supreme Court guidelines. *...(Interruptions)...* सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को निर्देश दिया है कि जो sanctuaries हैं, जहां वन्य प्राणियों की रक्षा होती है, उसके इर्द-गिर्द के इलाके में दो किलोमीटर के रेडियस में कोई commercial activity या कोई ऐसी गतिविधि न हो, जिससे वहां के वन्य प्राणियों को कोई नुकसान हो। यह कानून पूरे देश पर लागू है, लेकिन देश के एक राज्य में उसका उल्लंघन हुआ है। *...(व्यवधान)...* Forest Range Officer की आपत्ति के बावजूद सरकार की जंगल की 422 एकड़ जमीन, 15 रुपये गज के हिसाब से Wild Woods Resort नाम की एक कंपनी को दी गई। *...(व्यवधान)...* यह सन् 2010 के अन्दर गुजरात राज्य में हुआ। *...(व्यवधान)...* आप अपनी बात बाद में कहें। *...(व्यवधान)...* सर, आप इनको बता दें कि बीच में उल्लंघन पैदा न करें। *...(व्यवधान)...*

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। *...(व्यवधान)...*

श्री आनन्द शर्मा: वह भूमि जिनको दी गई है, उसमें सड़क रखी गई थी ताकि उसका *...(व्यवधान)...* उसकी मिल्कियत बदली नहीं जा सकती।

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

श्री आनन्द शर्मा: उस समय के राजस्व मंत्री और आज के मुख्य मंत्री *...(व्यवधान)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? *...(Interruptions)...*

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, I have a point of order under Rule 238. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On this issue? *...(Interruptions)...*

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Yes, Sir.